

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीस'

[ 7/3/2017 ]

प्रश्न सं. [ क. 3587 ]

परिशिष्ट-“अ”

परिशिष्ट 'अ'

स.क.	प्राचार्य का नाम एवं महाविद्यालय का नाम	दुरुपयोग की गई राशि का योजनावार एवं षटकवार विवरण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1.	डॉ. अशोका श्रीवारतव, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, नीमच	रु. 38,00,138 / - परीक्षा मद रु. 7,29,140 / - रेडकास मद	विभाग के आदेश क्र. एफ. 17-3/2015/38-1, दि. 12/2/2015 द्वारा निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है।
2.	डॉ. मोहम्मद इसहाक, सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य, शासकीय कन्या पी.जी. महाविद्यालय, उज्जैन	रु. 10,27,657 / - कन्या छात्रावास मद रु. 54,420 / - कन्या छात्रावास मद	विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17-41/2016/38-1, दि. 04/7/2016 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये हैं।
3.	डॉ० एन.सी. शर्मा, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय कमलाराजा कन्या पी.जी. स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर	रु. 7,20,460 / - केश बुक के मिलान में अंतर की राशि।	विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17-46/2016/38-1, दि. 24/9/2016 को आरोप पत्र जारी किये गये हैं।
4.	डॉ० अरविन्द कुमार मुदगल, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, आरोन जिला गुना	रु. 5,02,000 / - यू.जी.सी. मद रु. 1,10,000 / - जनभागीदारी मद	विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17-32/2016/38-1, दिनांक 05/8/2016 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है।
5.	डॉ. डी. आर. पवैया, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर जिला भिण्ड	रु. 6,698 / - अधिक राशि का भुगतान शासकीय मद  रु. 11,53,527 / - फर्नीचर कय जनभागीदारी मद	आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक-214/97/शिका/16, दिनांक 17/2/2017 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 212/110/शिका/16, दिनांक 17/2/2017 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
6.	डॉ. एस.बी. सिंह, पदोन्नत प्राध्यापक, वनस्पति, से.नि. प्रभारी प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रीवा	रु. 20,30,288 / - जनभागीदारी मद	विभाग के पत्र क्रमांक 671/1137/2016/38-1, दि. 21/2016 द्वारा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा से जांच प्रतिवेदन चाहा गया था, जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, कार्यवाही प्रचलित है।